

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-22/2015-46 (आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक 25-06-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

Mail/Fax

कृषि निदेशक बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/ नालन्दा/भोजपुर/ बक्सर / रोहतास/कैमूर (भभुआ)/गया/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/ सारण/ सीवान /गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण /सीतामढ़ी/ शिवहर/वैशाली /दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/मुंगेर/लखीसराय/ शेखपुरा/जमुई /भागलपुर /बांका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/ अररिया /कटिहार /खगड़िया।

विषय : खरीफ 2015 में अनियमित मानसून/बाढ़/ सुखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2015-16 में सिचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु 90.7175 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये कुल 115.00 करोड़ रुपये (एक अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 23.00 करोड़ रुपये (तेईस करोड़ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹23,00,00,000 (तेईस करोड़ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृतिदेश संख्या-3011 दिनांक-25-06-2015 के द्वारा खरीफ 2015 में अनियमित मानसून/बाढ़/ सुखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2015-16 में सिचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु 90.7175 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये कुल 115.00 करोड़ रुपये (एक अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 23.00 करोड़ रुपये (तेईस करोड़ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹23,00,00,000 (तेईस करोड़ रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹23,00,00,000 (तेईस करोड़ रुपये) मात्र का व्यय बजटशीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0125-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड-P2401007890125 विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2015-16 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृतिदेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

(रामजी सिंह)

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह) 25/6/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

46 (भाषटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 25-06-2015

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक

(15/25/6/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

46 (भाषटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 25-06-2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक, (शष्य) बीज कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सु/

(15/25/6/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

खरीफ 2014 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी आपाककालिन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2014-15 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु (अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-...30.1.] दिनांक-...25.06.2015 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007890125

(राशि रुपये में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	कृषि निदेशक बिहार, पटना	4,85,65,000	4,85,65,000
2	जिला पदाधिकारी, पटना	59,47,800	59,47,800
3	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	63,25,400	63,25,400
4	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	56,17,400	56,17,400
5	जिला पदाधिकारी, बक्सर	44,13,600	44,13,600
6	जिला पदाधिकारी, रोहतास	92,78,800	92,78,800
7	जिला पदाधिकारी, कैमूर (मभुआ)	51,92,600	51,92,600
8	जिला पदाधिकारी, गया	76,23,600	76,23,600
9	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	23,60,200	23,60,200
10	जिला पदाधिकारी, अरवल	20,06,200	20,06,200
11	जिला पदाधिकारी, नवादा	40,36,000	40,36,000
12	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	78,36,000	78,36,000
13	जिला पदाधिकारी, सारण	56,17,400	56,17,400
14	जिला पदाधिकारी, सिवान	54,75,800	54,75,800
15	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	48,62,000	48,62,000
16	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	63,49,000	63,49,000
17	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	92,28,600	92,28,600
18	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण	75,76,400	75,76,400
19	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	46,96,800	46,96,800
20	जिला पदाधिकारी, शिवहर	12,03,800	12,03,800
21	जिला पदाधिकारी, वैशाली	38,23,600	38,23,600
22	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	45,78,800	45,78,800
23	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	76,47,200	76,47,200
24	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	51,92,600	51,92,600
25	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	40,12,400	40,12,400
26	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	21,71,400	21,71,400
27	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	13,69,000	13,69,000
28	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	20,77,000	20,77,000
29	जिला पदाधिकारी, जमुई	33,75,200	33,75,200
30	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	44,84,400	44,84,400
31	जिला पदाधिकारी, बाँका	52,87,000	52,87,000
32	जिला पदाधिकारी, सहरसा	33,75,200	33,75,200
33	जिला पदाधिकारी, सुपौल	42,01,200	42,01,200
34	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	34,69,600	34,69,600
35	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	54,75,800	54,75,800
36	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	40,83,200	40,83,200
37	जिला पदाधिकारी, अररिया	48,85,800	48,85,800
38	जिला पदाधिकारी, कटिहार	40,59,600	40,59,600
39	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	22,18,600	22,18,600
कुल		23,00,00,000	23,00,00,000

(कुल-तेईस करोड़ रुपये मात्र)।




(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।